

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक : प.3()आ.कृ./पेंशन/2021 / 325-500

दिनांक : 30-11-2021

निदेशक, श्याम दुर्गापुरा/समेती (आत्मा) जयपुर
संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) समस्त खण्ड
उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जिला परिषद्/आत्मा/एटीसी समस्त
सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), समस्त

विषय : पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में।


प्रसंग : पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, जयपुर के पत्रांक प.(254)निपेवि/नियम/2015/पार्ट-02/1244-H दिनांक 22.11.2021

महोदय,

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजकीय सेवारत कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन शीघ्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार संलग्न पत्रानुसार शीघ्र कार्यवाही करने का श्रम करावें।

संलग्न :-प्रासांगिक पत्र

भवदीय,



(के.सी. मीना)

संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

क्रमांक : प.3()आ.कृ./पेंशन/2021 / 325-500

दिनांक : 30-11-2021

प्रतिलिपि :-एसीपी (उप निदेशक) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।



संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन)

DA
2/11/21



राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,
विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

भूमि

ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष नं. 0141-2749538, 2741687

वेबसाइट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in

क्रमांक :- प्र.5(254)निपेवि/नियम/2015/पार्ट-02/1244-H

दिनांक :- 22/11/21

2827/CA6

23.11.21

समस्त विभागाध्यक्ष

परिपत्र

विषय:- पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के संबंध में।

राजकीय सेवारत कार्मिकों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन शीघ्र स्वीकृत किया जाना आवश्यक होता है।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया विहित है। अतः, उक्त प्रक्रिया में निर्धारित कार्यवाही शीघ्रतर कराने के प्रयास किये जाये। तथापि किसी प्रकरण में विलम्ब लगना संभावित हो तो राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 99 के अन्तर्गत नियमानुसार प्रोविजनल पारिवारिक पेंशन एवं ग्रैच्युटी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा फॉर्म 33 के अन्तर्गत स्वीकृत की जाकर पेंशन अधिकृति जारी करने हेतु प्रकरण पेंशन विभाग को प्रेषित किया जावे। अतः आपके अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों को पारिवारिक पेंशन के प्रकरण शीघ्र पेंशन विभाग को प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें।

इसके अतिरिक्त 01.01.2004 एवं इसके पश्चात राज्य सेवा में नियुक्त कार्मिकों के संबंध में भी ऐसे प्रकरणों को यथा शीघ्र निस्तारित करने का कष्ट करावे।

(संजय सोलंकी)

निदेशक

DDA
23/11
Pension
Circulate to
all
24/11